

अंचल कार्यालय कोडरमा

विक्रम संद सं० ३५ / २०१६-१७

रिजवाना खातून
पति- मोठ आजाद
साठ फतरबर

१५.१२.२०१६

आवेदिका रिजवाना खातून पति- मोठ आजाद साकिन- फतरबर थाना- कोडरमा जिला- कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा- असना थाना न०- २४५ के खाता सं० - ३९ प्लॉट न०- १३४६ रकबा- २.५० डी० भूमि का दाखिल-खारिज वाद सं० १२१३ (II)/२०१४-१५ में स्वीकृत होकर पंजी II के पृष्ठ सं०- ६७/२३ में सरकारी तस्वीर निर्गत हो रहा है। परंतु अतीत में सही करने पर पता चल कि प्लॉट नंबर गलत है। सही प्लॉट न० १३४६ है। एवं बीबी समरी खातून पति- लतीफ मिया से सुधार पत्र कंवाला सं० ४३३९ एवं ४३४० दिनांक २७.०७.२०१५ के द्वारा सतत प्लॉट १३४६ के स्थान पर सही प्लॉट १३४६ रकबा- १.२५ डी० एवं १.२५ डी० कुल रकबा- २.५० डी० भूमि का सुधार करा ली है। रिजवाना खातून के द्वारा उक्त सुधार-पत्र कंवाला को अपने आवेदन के साथ सलगन कर जमाबंदी पंजी II में प्लॉट सुधार करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त भूमि के संबंध में टप्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक से जीव प्रतिवेदन की मांग करें। अमिलेख दिनांक **२३ / १२ / २०१६** को उपस्थापित करें।

[Signature]
अंचल निरीक्षक
कोडरमा

२९.१२.२०१६

अमिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जीव प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अमिलेख में सलगन है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा- असना थाना न०- २४५ के खालू पंजी II के ६७/२३ पर खाता सं०- ३९, प्लॉट न०- १३४६ रकबा- २.५० डी० मौजा- असना थाना न०- २४५ के खाता सं० - ३९, प्लॉट न०- १३४६ रकबा- २.५० डी० भूमि दाखिल-खारिज वाद सं० १२१३ (II)/२०१४-१५ के अनुसार आवेदिका रिजवाना खातून पति- मोठ आजाद के नाम से जमाबंदी कायम है। लगान वर्ष २०१४-१५ तक निर्गत है। उक्त भूमि के संबंध में लेख्यकारी बीबी समरी खातून पति- एवं लतीफ मिया साकिन- असनाबाद वार्ड न० १२ के द्वारा जमाबंदीधारक रिजवाना खातून पति- मोठ आजाद के नाम से दो सुधार-पत्र कंवाला सं० ४३३९ एवं ४३४० दिनांक २५.०७.२०१५ को मौजा- असना खाता सं० ३९, प्लॉट न० १३४६ के स्थान पर सही प्लॉट न० १३४६ रकबा- क्रमशः १.२५ डी० एवं १.२५ डी० कुल रकबा- २.५० डी० भूमि का सुधार किया गया है। उक्त मूल कंवाला एवं सुधार पत्र कंवाला की छायाप्रति सलगन किया गया है। उक्त भूमि रैयती खाते की है।


राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा सुधार पत्र कंवाला सं० ४३३९ एवं ४३४० दिनांक २५.०७.२०१५ के अनुसार पंजी II में प्लॉट न १३४६ के स्थान पर सही प्लॉट न० १३४६ में सुधार करने की अनुमति की गई है।


नोटिस निर्गत कर आवेदिका से मूल कागजातों की मांग करें। अमिलेख दिनांक **०३ / ०१ / २०१७** को उपस्थापित करें।

[Signature]
अंचल निरीक्षक
कोडरमा

03-01-2017* अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल कागजातों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत केवाला एवं हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मूल केवाला सं० 4890 एवं 4891 दिनांक 23.09.2013 में उल्लेखित प्लॉट सं० 1348 है, जिसका पूर्व में नामांतरण हो चुका है। उपरोक्त प्लॉट की शुद्धिकरण वारंते सुधार-पत्र केवाला सं० 4339 एवं 4340 दिनांक 25.07.2015 से प्लॉट को शुद्ध करके 1348 किया गया। अतः उपरोक्त जाँच एवं हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अंचल कार्यालय से संबंधित राजस्व दरतावेजों में मौजा-असना, धाना नं०- 245 के खाता सं० 39, प्लॉट सं० 1348 के स्थान पर प्लॉट नं० 1346 को इन्द्राज किया जाए। हल्का कर्मचारी एवं कार्यालय सहायक को निर्देश दिया जाता है कि जल्द सभी राजस्व दरतावेजों में सुधार करें।


लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
कोडरमा